न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 473/2015

वादी बनाम प्रतिवादीगण

1. अल्ट्राटेक सिमेन्ट लिमिटेड
मुम्बई यूनिट पाली वर्क्स जरिए
प्राधिकृत अधिकारी
श्री गिरधारीलाल शर्मा
पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा
जाति-ब्राह्मण,निवासी-हाल-ब्यावर
तहसील-ब्यावर, जिला-अजमेर

1. रामा पुत्र हीरा
जाति-मेरात,निवासी-टूंकड़ा
2. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.23/11/2015**

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री राजेन्द्र गुर्जर, अधिवक्ता, प्रति0

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 22/11/2017**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-टूंकड़ा, पटवार हल्का-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 03 रकबा 29-14 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं। उक्त भूमि में वादी 1/2 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 01 1/2 हिस्से के खातेदार कश्तकार हैं। माफिक हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते हैं। उक्त कृषि भूमि के खातेदार अमित सिंगानिया ने अपने हिस्से की कृषि भूमि को दिनांक 21/06/2013 को वादी को बेचान कर दी, बेचान करने के बाद वादी अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता हैं। परन्तु राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज नहीं हैं तथा वादी अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी होने से वादी द्वारा यह वाद बाबत् घोषणा का श्रीमान् के समक्ष पेश किया हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि पक्षकारान् की शामलाती खातेदारी की जमाबन्दी में दर्ज हैं। जिनका कानूनन बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाण्उडस् के किया जाना आवश्यक हैं। शामलाती खातेदारी की कृषि भूमि होने से वादी अपने हिस्से की कृषि भूमि को काबिल काश्त हेतु खाद बीज के लिये बैंक से ऋण लेने में कठिनाई पैदा होती हैं तथा अपनी कृषि भूमि को अकृषि भूमि तथा वाणिज्यक प्रयोजनार्थ हेतु भूमि रूपान्तरण करने में परेशानी होती हैं। वादी ने कानूनन बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के दिनांक 28/10/2015 को कहा तो प्रतिवादी ईन्कार हुए तथा वादी के 1/2 हिस्से की खेत की तारबन्दी को भी खूर्दबुर्द व तोड़फोड़ करने लगे। तब वादी ने प्रतिवादी को ऐसा करने से मना किया, तो प्रतिवादी वादी के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हुए प्रतिवादी यदि अपने अवैधानिक कृत्य में सफल हो जाते हैं तो वादी अपने अधिकारों से महरूम होगा व वादी को असीम हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन किसी सूरत में संभव नहीं होगा। इसलिए वादी के पास उक्त बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद श्रीमान्

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

के समक्ष पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहने से यह वाद-पत्र घोषणा बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से बंटवाड़े के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया हैं। बिनायवाद दिनांक 28/10/2015 को वादी ने प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा कराने का कहने व राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने का कहने पर स्पष्ट ईन्कार होने एवं वादी के खेत की तारबन्दी को तोड़फोड़ करने की धमकी देने पर बमुकाम-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से यह वाद श्रीमान् के समक्ष अन्दर म्याद पेश किया हैं।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना / तामिली के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वाद के समर्थन में वादी का साक्ष्य का शपथ-पत्र पेश किया, सा0मि0 हैं। वकील वादी ने उक्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मौके पर नापचौंप कर पत्थरगढ़ी एवं नेखमबन्दी कर वादी का खाता व लगान अलग-अलग किया जाकर नक्शा ट्रेस में वादी के 1/2 हिस्से को अलग से तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात तथा बेचान दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वादी अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहता हैं। लिहाजा वादी को बेचान दस्तावेजात अनुसार विवादित आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-टूंकड़ा, पटवार हल्का-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 03 रकबा 29-14 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/1197 दिनांक 17/10/2017 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण के पत्रांक/भू.अ./2017/5400 दिनांक 20/11/2017 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–टूंकड़ा, पटवार हल्का–टूंकड़ा, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 03 रकबा 29–14 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	अल्ट्राटेक सिमेन्ट लिमिटेड 2बी विंग आहुरा सेंटर II मंजिल महाकाली केव्ज रोड़, अन्धेरी ईस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र) यूनिट पाली सीमेन्ट वर्क्स, तह.–जैतारण खातेदार।	3/1	14-17-00	बा0अ0	7.42 रू.
2	रामा पुत्र हीरा कौम–मेहरात सा0 देह खातेदार।	3	14-17-00	बा0अ0	7.43 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 22/11/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)